धरेगा 52

<table>
<tr><td>तारीख

हुक्म</td><td>फर्द अहकाम
(नियम 15)
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
धनीराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) धौलपुर
प्रथम अपील, (मु0संख्या 02 / 2026)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2026 / 36)</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये</td></tr>
<tr><td>05.05.2026</td><td>अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः प्रथम अपील / आरटीआई. / 2026 / 238 दिनांक 30.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय के पत्र कमांक संपर्क / सू.अ. / 2026 / 69 दिनांक 17.02.2026 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख, कलेक्ट्रेट धौलपुर को स्थानान्तरित किया गया। प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख, कलेक्ट्रेट धौलपुर ने अपने पत्रांक भू.अ. / स्था. / सू.अ. 2005 / 2026 / 760 दिनांक 18.02.2026 के द्वारा अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना, अपीलार्थी श्री धनीराम उप तहसील कार्यालय कुडगांव जिला करौली को उपलब्ध करवा दी गई है जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।
अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई बांछित सूचना अपीलान्ट को प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख, कलेक्ट्रेट धौलपुर ने अपने पत्रांक भू.अ. / स्था. / सू.अ.2005 / 2026 / 760 दिनांक 18.02.2026 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है जिसके पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर</td><td></td></tr>
</table>